न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

दावा संख्या 19/22 दायरा दिनांक 08.06.2022

गीताबाई पत्नि श्यामलाल उम्र 52 वर्ष जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान वादी

बनाम

प्रहलाद पुत्र मनफूल जाति सहरिया निवासी मामोनी तहसील शाहावाद जिला बांरा राजस्थान प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा

<u>निर्णय–दिनांक 02.06.2025</u>

उपस्थित

वादीगण की ओर से – श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से – एकपक्षीय दिनांक 20.05.2024

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आराजी ख0नं0 280/393 रकबा 6.14 बीघा ग्राम बिहारीपुरा पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहावाद में स्थित रही है, जिसमें से वादीनी ने 2.18 बीघा भूमि रजिस्टर्ड क्रय कर श्रीमान न्यायालय में वाद संख्या 66/15 बउनवान गीताबाई बनाम राजेन्द्र वगैरहा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट निर्णय व डिक्री दिनांक 20.11.2019 से विभाजन करा मौके पर दखल तथा कब्जा प्राप्त किया है, जो बाद विभाजन वादीनी की आराजी खसरा नम्बर 280/393/1 रकबा 2.18 बीघा प्रथक से वादीनी के नाम राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खाता दर्ज हो चुका है, जिस पर वादीनी काबिज काश्त है, इसी आराजी खसरा नम्बर 280/393/1 रकबा 2.18 बीघा को आगे विवादित आराजी कहा गया है। इस प्रकार विवादित आराजी वादीनी के एकमात्र खाते तथा कब्जे काश्त की है, जिसमें किसी को भी दखलन्दाजी करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। इसके बावजूद प्रतिवादी जबरन दादागिरि कर वादीनी को विवादित आराजी में काश्त नहीं करने दे रहा है और वादीनी के कब्जाकाश्त में दखलन्दाजी कर रहा है। दिनांक 28.05.2022 को वादीनी ट्रेक्टर लेकर अपने पति के साथ विवादित आराजी को हांकने पहुंची तो प्रतिवादी ने वादीनी को उक्त आराजी नहीं हांकने दी और लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा ट्रेक्टर बाले को धमकी दी कि यदि उसने खेत में ट्रेक्टर चलाया तो प्रतिवादी ट्रेक्टर को तोड देगा तथा वादीनी व ट्रेक्टर बाले को जान से मार देगा। उक्त कृत्य व धमकी से वादीनी के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है और वादीनी विवादित आराजी को काश्त नहीं कर पा रही है, इस कारण वादीनी वि[illegible] प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी [illegible] किया गया। प्रतिवादी जरिये वकील उपस्थित हुआ, जिसे अन्[illegible] जवाब पेश नहीं किया और दिनांक 20.05.2024 को प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी की ओर से पी.डब्लू. [illegible] बयान कराये तथा [illegible] जमाबंदी ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहाबाद सम्वत 2072–75 खाता संख्या 107 प्रदर्श 1, नकल निर्णय दिनांक 20.11.19 प्रदर्श 2, नकल डिक्री दिनांक 20.11.2019 प्रदर्श 3, विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श 4 व 5 को प्रदर्श कराया। नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 अनुसार वादी विवादित आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested

02/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

ख0नं0 280/393/1 रकबा 2.18 बीघा की रिकार्डेड खातेदार है, जो विधिवत विभाजन के बाद वादी को प्राप्त हुई है, जिसमें दखलन्दाजी करने का प्रतिवादी को कोई हक अथवा अधिकार नहीं है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के खाते व कब्जे की आराजी ख0नं0 280/393/1 रकबा 2.18 बीघा ग्राम बिहारीपुरा तहसील शाहाबाद पर वादी के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नहीं करेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 02.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

02.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.07.18 16:30:49 IST
Reason: SelfAttested